

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 464

दिनांक 15/02/2024

प्रार्थीगण :-

- 1.जोध्या पुत्र रूपा
- 2.गोमदा पुत्र रूपा, जाति सुथार
- निवासी पुनियों का तला
- तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

- 1.बिहारीलाल 2.लालाराम पि.तुलछाराम 3.जमनादेवी पत्नि
- तुलछाराम, जाति सुथार, 4.मीठलाराम पुत्र हमीराराम, जाति
- भील 5.करनाराम पुत्र पूनमाराम, जाति मेघवाल 6.कालू 7.भूरा
- 8.मोहन 9.सेता 10.पपू पि.डूंगरा, जाति मेघवाल 11.पेम्पोदेवी
- पत्नि पताराम, जाति जाट, निवासी पूनियों का तला
- (बावड़ीकला), तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
- 16.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 14/2023

दिनांक : 12.02.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बावड़ी कला के मौजा पुनियों का तला के खेत खसरा सं. 836/288 रकबा 08.0937 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 465 to 468
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी जोध्या वगैरा
3. विप्रार्थीगण बिहारीलाल वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 15/02/2024



(सूरजभान विशनोई)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

मुद्रांकित 2024